न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी रिया डाबी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2019 अपील GCMS No. 2019/00313

1. श्री लोगीलाल पिता भेरा जी डांगी, उम्र–वयस्क, निवासी–पुंला, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर
2. श्री उदयलाल पिता भेरा जी डांगी, उम्र–वयस्क, निवासी–पुंला, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर
3. श्री गंगाराम पिता भेरा जी डांगी, उम्र–वयस्क, निवासी–पुंला, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर
4. श्रीमती वालीबाई(पुत्री भेरा जी) पत्नि भंवरलाल जी डांगी, उम्र–वयस्क, निवासी–डागलियों की मगरी, भुवाणा, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर
5. श्रीमती दुर्गाबाई(पुत्री भेरा जी) पत्नि चन्द्रशेखर जी डांगी, उम्र–वयस्क, हाल निवासी–शोभागपुरा, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर

अपीलान्ट्

बनाम

1. श्री देवा पिता केवला जी डांगी मृतक के बजाय–
   (1/1) श्री हीरालाल पिता तौलाराम जी डांगी, उम्र–वयस्क, निवासी धाबाई जी की पुंला, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर
   (1/2) श्रीमती मोहनी पत्नि हेमन्त जी डांगी, उम्र–वयस्क, निवासी खरबडीया, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
   (1/3) श्रीमती रतन पत्नि शंकर जी डांगी, उम्र–वयस्क, निवासी डांगीयों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
   (1/4) श्री प्रकाश पिता हीरालाल जी डांगी, उम्र–वयस्क, निवासी धाबाई जी की पुंला, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर
   (1/5) श्रीमती रतुबाई (पिता देवा जी) पत्नि उदयलाल जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी–डांगीयों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
   (1/6) श्रीमती भंवरीबाई (पिता देवा जी) पत्नि रामलाल जी डांगी, उम्र–वयस्क, निवासी–डांगीयों का गुडा, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर
2. श्रीमती रतुबाई(पिता देवा जी) पत्नि उदयलाल जी डांगी, उम्र–वयस्क, निवासी–डांगीयों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. श्रीमती भंवरीबाई (पिता देवा जी) पत्नि रामलाल जी डांगी, उम्र–वयस्क, निवासी–डांगीयों की पंचोली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. श्री सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत भोईयों की पंचोली नामान्तरण संख्या 1056 निर्णय दिनांक 20.04.2017 अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित :–

1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री खेमराज डांगी
2. रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता कैलाश नागदा उपस्थित

निर्णय

दिनांक :

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपील अपीलान्ट ने प्रस्तुत कर अंकित किया कि गांव डांगियों की पंचोली तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में आराजी नम्बर 176 रकबा 0.3400 हे. आराजी नम्बर 177 रकबा 0.1400 हे., आराजी नम्बर 178 रकबा 0.0300 हे, आराजी नम्बर 186 रकबा 0.8500 हे., आराजी नम्बर 187 रकबा 0.2350 हे, आराजी नम्बर 440 रकबा 0.0250 हे., आराजी नम्बर 448 रकबा 0.0400 हे, आराजी नम्बर 449 रकबा 0.0500 हे., आराजी 450 रकबा 0.0600 हे., आराजी नम्बर 451 रकबा 0. 1000 हे., आराजी नम्बर 452 रकबा 0.0550 हे, आराजी नम्बर 453 रकबरा 0. 0450 हे., आराजी नम्बर 551 रकबा 0.0300 हे, आराजी नम्बर 624 रकबा 0. 1000 हे., आराजी नम्बर 630 रकबा 0.0950 हे, आराजी नम्बर 1404 0.1500 हे., आराजी नम्बर 1566 रकबा 0.1300 हे., आराजी नम्बर 2041 रकबा 0.0300 हे., आराजी नम्बर 2042 रकबा 0.1600 हे., आराजी नम्बर 2043 रकबा 0. 0150 हे., आराजी नम्बर 2044 रकबा 0.0100 हे., आराजी नम्बर 2045 रकबा 0.0900 हे.. आराजी नम्बर 2103 रकबा 0.1500 हे., आराजी नम्बर 2104 रकबा 0.0650 हे., आराजी नम्बर 2105 रकबा 0.0400 हे., आराजी नम्बर 2106 रकबा 0.0200 हे., आराजी नम्बर 2107 रकबा 0.0500 हे., आराजी नम्बर 2111 रकबा 0.0300 हे., आराजी नम्बर 2112 रकबा 0.1300 हे. आराजी नम्बर 2113 रकबा 0.2600 हे., आराजी नम्बर 2114 रकबा 0.3200 हे., आराजी नम्बर 2115 रकबा 0.1200 हे., आराजी नम्बर 2116 रकबा 0.3300 हे., आराजी नम्बर 2117 रकबा 0.2500 हे., आराजी नम्बर 2118 रकबा 0.1400 हे. भूमि कुल किता 36 कुल रकबा 5.0500 हेक्टेयर भूमि स्थित है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 देवा व उसके भाई उदा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। अपील में प्रस्तुत सजरे के अनूसान मुल पुरूष वक्ता जी थे व वक्ता के दो लडके पैमा व वरदा हुए दोनों का स्वर्गवास हो गया, पैमा के दो लडके कना व लखा हुए, कना के एक लड़का केवला हुआ व केवला के दो लडके देवा व उदा हुए, व लखा के पीथा व दला दो पुत्र व रम्भा पत्नी व दौली बाई पुत्री हुए, जो सभी फोत हो चुके है, व अपीलान्ट दोलीबाई के वारिस है, दौली बाई का स्वर्गवास दिनांक 19.05.2019 को हुआ, इस सम्पति में सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 देवा व उसके भाई उदा के नाम दर्ज हो गई थी जबकि 1/2 हिस्सा लखा की एक मात्र जीवित पुत्री दौली बाई के नाम दर्ज होना चहिये था इस कारण दौलीबाई द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 देवा व उसके भाई उदा के विरूद्ध उक्त सम्पति बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती व बंटवाडे का

वाद उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में सन् 2007 में पेश किया व उक्त वाद दिनांक 25.02.2009 को न्यायालय द्वारा दौली बाई को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर बंटवाडे के वास्ते प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई, व प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या द्वारा न्यायालय को यह अवगत कराया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर स्थगन आदेश प्रभावी है व तब से आज दिन तक उक्त प्रकरण (वाद) आप न्यायालय में जैर पेण्डींग है जिसमें आगामी पेशी दिनांक 04.11.2019 को नियत है। उक्त भूमि के संबंध में देवा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद सन् 2005 में अपने भाई उदा व उसके लड़के डालचन्द के विरूद्ध गोद नामा निरस्ती का पेश किया गया था जो जिला न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया जिसकी अपील रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में की गई जिसके अपील संख्या 623/2006 है. व वंहा से दिनांक 12.09.2007 को स्टे कन्फर्म कर दिया गया, व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भूमि पर स्थगन होने के बाद व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा 1/2 हिस्से का दौली बाई के हक में खातेदारी घोषित करने के बाद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि में उसका जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा जिसका वो मालिक ही नही था व न्यायालय से स्थगन होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को दान कर दी जबकि उसको ऐसा करने का कोई अधिकार नही था व रेस्पोडेन्ट द्वारा स्थगन होने की जानकारी होते हुए भी उक्त नामान्तरण खुलवाया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील आप न्यायालय में पेश की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय व विधि के विपरित होकर काबिज निरस्त के है। ग्राम पंचायत में अकेले सरपंच द्वारा यह नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, इस नामान्तरण में पुरी कोरम के कहीं हस्ताक्षर नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सरपंच द्वारा नामान्तरण स्वीकृत करना कहकर रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जो गलत होकर काबिल निरस्त के है। अकेले सरपंच को नामान्तरण स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है, नामान्तरण कोरम में पेश होना चाहिये एवं पूर्ण कोरम द्वारा स्वीकृत होना चाहिये फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया वो गलत होकर काबिल निरस्त के हे। रेस्पोडेन्ट द्वारा सरपंच व अधिनस्थ राजस्व कर्मचारियों से मिल–मिलाकर कथित नामान्तरण अपने हक में दर्ज करवा लिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 को तो यह स्पष्ट ध्यान था कि उक्त भूमि पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन जारी किया हुआ है। व इस बात की तो स्वयं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा में रिपोर्ट देता है। व न्यायालय से स्थगन होने के बावजूद भी जो नामान्तरण

खोला गया वो काबिल निरस्त के है। उक्त भूमि 1/2 हिस्सा अपीलान्ट की माता दौली बाई का था, दौली बाई द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके भाई के विरूद्ध घोषणा का वाद पेश किया व न्यायालय द्वारा 1/2 हिस्से का दौली बाई को खातेदार घोषित किया परन्तु उच्च न्यायालय से किसी और प्रकरण में इस भूमि पर स्थगन होने के कारण भूमि दौली बाई के नाम दर्ज नहीं हुई व खाते में रस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज रह जाने से उसके द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को भूमि दान कर दी जबकि उक्त भूमि में उसका 1/2 हिस्सा बनता ही नही है तथा वो केवल 1/4 हिस्सा का मालिक ही रहता है व इन सब बातो की जानकारी होते हुए भी रेस्पोडेन्ट द्वारा जो नामान्तरण अपने हक में खुलवाया वो विधि विरूद्ध होकर काबिल निरस्त के है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संखय 2 व 3 को भूमि दान की गई है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जीतनी भूमि दान की गई है उतनी भूमि का वो मालिक ही नहीं है। उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के निर्णय दिनांक 25.02.2009 के अनुसार दौली बाई जो अपीलान्ट की माता है 1/2 हिस्से की खातेदार मालिक है ऐसी स्थिति में देवा केवल मात्र 1/4 हिस्से का ही मालिक रहता है तो उसे सम्पूर्ण भूमि दान करने का कोई अधिकार ही नहीं है व दान में भूमि का कब्जा सौपना होता है जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जीतनी भूमि का दान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के हक में किया उतने का मालिक ही नही है तो कब्जा देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है परन्तु रेस्पोडेन्ट्स द्वारा सरपंच व अधिनस्थ राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से जो नामान्तरण अपने हक में खुलवाया वो काबिल निरस्त के है। ग्राम पंचायत द्वारा खोला गया नामान्तरण अवैध होकर काबिल निरस्त के है। जिस दिन यह नामान्तरण खोला गया उस दिन देवा इस सम्पूर्ण सम्पति का मालिक ही नही था व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर पूर्व में ही स्थगन जारी कर रखा था इस अवैध नामान्तरण की जानकारी अपीलान्ट को जब अपीलान्ट की माता दौली बाई के स्वर्गवास होने के पश्चात् उनके मुकदमे में नाम कायमी का प्रार्थना पत्र पेश किया व न्यायालय द्वारा जब हम अपीलान्ट को पक्षकार बनाया गया जब पेशी पर गये वह पंत्रावली का अवलोकन किया तो पता चला कि उक्त सम्पति पर राजस्थान उच्च न्यायालय से स्थगन है तब राजस्व रिकोर्ड में जमाबन्दी की नकल ली तो पता चला कि देवा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के बजाये दिगर रेस्पोडेन्ट के नाम भूमि दर्ज हो गई तब अपीलान्ट द्वारा तुरन्त नकलो के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया व दिनांक 23.09.2019 को नकले प्राप्त हुई व उसके बाद अपीलान्ट द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से नकले प्राप्त

की जो दिनांक 15.10.2019 को न्यायालय से प्राप्त हुई व वंहा के अधिवक्ता द्वारा यंहा नकले भेज व नकल प्राप्त होते ही तुरन्त यह अपील तारीख ध्यान से अन्दर मयाद पेश की जा रही है। वैसे तो अवैधानिक आदेश की कोई मियाद नहीं होती फिर भी मियाद अधिनियत की धारा 5 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अपीलान्ट दौली बाई के नेचुरल वारिसान है जिन्हे अपील पेश करने का पूर्ण अधिकार है व अधिनस्थ न्यायालय को तथाकथित नामान्तरण को स्वीकृत करने से पुर्व समस्त वस्तुस्थिति की पूर्णतया जानकारी थी परन्तु फिर भी उनके द्वारा रेस्पोडेन्ट से मिलीभगत कर जो आदेश दिया जो गलत होकर काबिल निरस्त के है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भोईयों की पंचोली द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 1055 निरस्त फरमाया जावे व रिकार्ड में इस नामान्तरण खुलने से पूर्व की स्थिति को बहाल कराये जाने के आदेश प्रदान कराया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन सूचित किया गया। रेस्पोंडेंट्स की और से अधिवक्ता गौतमलाल सिरोया एवं कैलाश नागदा द्वारा वकालत पत्र प्रस्तुत किया गया।

अपीलांट द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि अपीलांट दौली बाई के वारिस है तथा वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा दौली बाई का था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तकरण से अपीलांट्स प्रभावित पक्षकार है। अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान कराई जावे। दौलीबाई का कभी भी राजस्व अभिलेख में अंकन नहीं होने से अपीलांट के पक्षकार होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जिससे उन्हें अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।

प्रार्थना पत्र धारा 96 पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा राजस्व वाद प्रकरण संख्या 33/07 के अवलोकन से प्रथम दृष्टया हितबद्ध पक्षकार होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा धारा 5 परीसीमा अधिनियम का प्रस्तुत कर मयाद कण्डोन करने का निवेदन किया गया। रेस्पोडेंट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि अपीलांट ने मिथ्या कहानी बनाकर नकल प्राप्त करने को आधार लेकर अपील को मयाद में लेने का प्रयास किया है। अपीलांट की अपील बेरून मयाद होने से निरस्त फरमाई जावे।

धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। अपील में सारगर्भित बिन्दु होकर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित होने से मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए अंकित किया कि

उक्त आराजीयात में अपीलाण्ट्स लोगीलाल आदि की माता दोलीबाई पुत्री लखा जी डांगी, प्रतिवादी देवा पिता केवला व उदा पिता केवला के खातेदारी एवं आधिपत्य की है, लेकिन अपीलाण्ट की माता दोलीबाई के पिता लखा जी की मृत्यु हो जाने से लखा जी का हिस्सा भी देवा व उदा ने अपने नाम दर्ज करा लिया, जिस पर दोलीबाई ने उक्त आराजीयात में अपने 1/2 हिस्से की घोषणा, बटवाडा एवं निषेधाज्ञा हेतु उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में न्यायालय उप जिला कलेक्टर, गिर्वा में तारीख 02.02.2007 को प्रतिवादी देवा व उदा के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जो अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा, उदयपुर में मुंतकिल किया। जहां पर कार्यवाही की जाकर दोलीबाई व गवाह प्रतिवादी देवा पिता केवला, गवाह पेमा के मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र प्रस्तुत किये, जिसमें देवा ने भी दोलीबाई का 1/2 हिस्सा होना स्वीकार किया व प्रतिवादी ने खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, जिससे दोली का वाद साबित होने से वादीया दोली को तारीख 05.02.2009 को उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से की खातेदार घोषित कर बटवाडा करने की प्रारम्भिक डिक्री पारीत की व बटवाडा हेतु तहसीलदार गिर्वा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। इस प्रारम्भिक डिक्री की पालना के दौरान तहसीलदार गिर्वा द्वारा विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान का स्थगन आदेश होना बताया गया व इस स्थगन आदेश की आड में प्रारम्भिक डिक्री की पालना नहीं हुई है व यह वाद अभी भी न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर में विचाराधीन है, जिसके मुकदमा नम्बर–33/2007 है।

दोली का उक्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा घोषित कराये जाने के बाद शेष 1/4 हिस्सा देवा पिता केवला का व 1/4 हिस्सा उदा पिता केवला का रहता है। लेकिन देवा पिता केवला द्वारा यह जानते हुऐ कि विवादित आराजी में दोली का 1/2 हिस्सा है व देवा स्वयं का 1/4 हिस्सा है, लेकिन देवा पिता केवला ने विवादित आराजीयात में अपना 1/2 हिस्सा बताते हुऐ, तारीख 05.04.2017 को दो अलग–अलग दान पत्रों से कना पिता देवा व कुन्दन पिता हीरालाल के नाम व रतु पुत्री देवा व भवरी पुत्री देवा

के पक्ष में दान पत्र कर रजिस्ट्री करा दी है व इसी तरह देवा पिता केवला ने आराजी नम्बर 2289 से 2296 कुल किता 8 रकबा 1.1750 हेक्टेयर में अपना 1/2 हिस्सा बताते हुऐ तारीख 05.04.2017 को दो अलग–अलग दानपत्रों से कना पिता देवा, कुन्दन पिता हीरालाल, रतु पुत्री देवा, भंवरी पुत्री देवा के नाम दो अलग–अलग दान पत्रों से दान कर रजिस्ट्री करा दी है व इन दान पत्रों के आधार पर नामान्तरकरण नम्बर 132 तारीख 05.07.2017 व 1056 तारीख 20.04.2017, 1055 तारीख 20.04.2017, 133 तारीख 05.07.2017 स्वीकृत करा लिये है। जिसके जानकारी होते ही अपीलाण्ट्स ने अपील प्रस्तुत कर दी है। अपीलाण्ट्स ने इस प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के जरिये निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये है

क. नकल वाद पत्र मुकदमा नम्बर 33/07 वाद पत्र न्यायालय उपजिला कलेक्टर, गिर्वा, तारीख 02.02.2007

ख. नकल निर्णय व डिक्री तारीख 25.02.2009, मुकदमा नम्बर 33/07 वाद पत्र, न्यायालय उपजिला कलेक्टर गिर्वा

ग. नकल प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 जा.दी. मय शपथ पत्र, तारीख 19.08.2019, न्यायालय उपजिला कलेक्टर, गिर्वा

घ. नकल वकालत पत्र तारीख 20.12.2007 द्वारा दौली जो न्यायालय उपजिला कलेक्टर, गिर्वा, उदयपुर में मुकदमा नम्बर 33/07 वाद पत्र में नकल प्रस्तुत किया गया।

ड़. शपथ पत्र देवा पिता केवला जी डांगी, तारीख 22.05.2008, जो न्यायालय उपजिला कलेक्टर, गिर्वा में दौली बनाम् देवा आदि के वाद पत्र में प्रस्तुत किया गया।

च. नकल शपथ पत्र दौली पुत्री लखा जी डांगी, तारीख 22.05.2008, जो न्यायालय उपजिला कलेक्टर गिर्वा के अनवान दौली बनाम् देवा आदि के वाद में पत्र में प्रस्तुत किया गया।

छ. नकल मृत्यु प्रमाण पत्र दौली तारीख 19.05.2019

ज. नकल वकालत पत्र तारीख 19.08.2019, द्वारा लोगीलाल, उदयलाल, गंगाराम आदि

झ. नकल वाद पत्र न्यायालय डिस्ट्रीक्ट जज, उदयपुर अनवान हीरालाल बनाम् लोगीलाल आदि, तारीख 24.02.2020, मय शपथ पत्र हीरालाल डांगी ।

ट. नकल वकालत पत्र तारीख 24.02.2020 द्वारा हीरालाल अनवान हीरालाल बनाम् लोगीलाल आदि

ठ. नकल प्रार्थना पत्र तारीख 29.04.2021, आदेश 7 नियम 11 जा.दी.. अनवान हीरालाल बनाम् लोगीलाल आदि मुकदमा नम्बर 19ध्2020 ई.दी. न्यायालय अपर डिस्ट्रीक्ट जज नम्बर 4, उदयपुर

ड. नकल जवाब प्रार्थना पत्र तारीख 12.10.2021, आदेश 7 नियम 11 जा.दी. अनवान हीरालाल बनाम् लोगीलाल आदि मुकदमा नम्बर 19ध्2020 ई.दी. न्यायालय अपर डिस्ट्रीक्ट जज नम्बर 4, उदयपुर

ढ़. नकल दान पत्र तारीख 05.04.2017, अज देवा पिता केवला बहक कन्ना, कुन्दन जो विवादित आराजीयात का है।

ण. नकल दान पत्र तारीख 05.04.2017, अज देवा पिता केवला बहक रतु बाई व भंवरीबाई जो विवादित आराजीयात का है।

त. नकल स्थगन आदेश तारीख 13.08.2007, माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर, अपील संख्या 623ध्06 एस.बी. सिविल प्रथम अपील अनवान देवा बनाम् डालचन्द आदि

थ. नकल स्थगन आदेश तारीख 12.09.2007, माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर, अपील संख्या 623ध्06 एस.बी. सिविल प्रथम अपील अनवान देवा बनाम् डालचन्द आदि

उक्त दस्तावेज के सम्बन्ध में रेस्पोडेण्ट्स की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है व एक तरह से उक्त दस्तावेजात को स्वीकार कर लिया गया है। इन दस्तावेजों से स्पष्ट है कि मृतक वादी दोली द्वारा विवादित भूमि में अपने 1/2 हिस्से की घोषणा, बटवाडा व निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादी रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध तारीख 02.02.2007 को न्यायालय उप जिला कलेक्टर, गिर्वा में प्रस्तुत किया जो अग्रिम कार्यवाही हेतु सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर में मुत्तकिल हुआ है व सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर द्वारा इस वाद में दोली को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित कर प्रारम्भिक डिक्री पारीत की गई है व इस प्रारम्भिक डिक्री के बाद प्रतिवादी देवा द्वारा दौराने वाद रेस्पोडेण्ट्स के पक्ष में दान पत्र निष्पादित किये गये है और दान पत्रों के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करा लिये गये है, जबकि इसकी अपीलाण्ट्स व दोली को कोई सूचना नहीं दी गई है, जबकि इन्हे सूचना दिये बिना कथित कार्यवाही नहीं हो सकती है, क्योंकि कथित नामान्तरकरण से अपीलाण्ट्स के हित प्रभावित हो रहे है तथा दान पत्र एवं अन्य दस्तावेज दौराने वाद किये गये है, जो धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से शुन्य है, इसके अलावा भी अपीलाण्ट्स व दोली के अधिवक्ता मुल वाद में गौतमलाल जी सिरोहिया, मनोज जी सिरोहिया एवं कैलाश जी नागदा रहे है व देवा इस वाद में अपीलाण्ट्स का गवाह है, जिसने वाद के विचाराधीन दान पत्र निष्पादित किये है व दान पत्र ग्रहिता के अधिवक्ता भी गौतमलाल जी सिरोहिया, मनोज जी सिरोहिया व कैलाश जी नागदा व प्रतिवादी देवा को यह जानकारी थी कि कथित वाद न्यायालय में विचाराधीन है व दोली के पक्ष में 1/2 हिस्से

की घोषणा व बटवाडा की प्रारम्भिक डिक्री पारीत हो चुकी है व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में स्थगन आदेश जारी है। फिर भी कानून के विपरीत बिना अधिकार के दान पत्र निष्पादित कराये है, जबकि कानूनी प्रावधान धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के तहत वाद के विचाराधीन होने से ऐसे दस्तावेज अवैद्य होकर शुन्य है व ऐसे दान पत्रों को अपीलाण्ट्स को निरस्त कराने की आवश्यकता नहीं है, ये दस्तावेज अपने आप में शुन्य है । इस अपील के मुख्य आधार निम्न है।

क. जिस दान पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, वह दान पत्र मुल वाद मुकदमा नम्बर 33ध्2007 के विचाराधीन होते हुऐ किये गये है। धारा 52 सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 52 के प्रावधान के विपरीत होने ऐसे अन्तरण शुन्य है व ऐसे अन्तरण से दानगृहिता को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। मुलाहजे हो –

2012(1) आर.आर.टी. 223

2010 (4) आर.एल.डब्ल्यु. 3065

ख. देवा पिता केवला डांगी मुल वाद मुकदमा नम्बर 33/2007 में प्रतिवादी नम्बर 1 है, जिसने दोली के हिस्से के सम्बन्ध में दोली के गवाह के रूप में शपथ पत्र पेश कर विवादित आराजीयात में दोली का 1/2 हिस्सा होना व देवा स्वयं का 1/4 हिस्सा होना व 1/4 हिस्सा उदा का होना स्वीकार किया है तथा न्यायालय द्वारा दोली को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने के बाद भी देवा पिता केवला का 1/4 हिस्सा ही रहता है, फिर भी जो दान पत्र किये गये है, उन दान पत्रों में देवा पिता केवला ने अपना 1/2 हिस्सा मानकर 1/2 हिस्से के दान पत्र निष्पादित कराये है, जो देवा के हिस्से से ज्यादा के है, इस कारण भी दान पत्र हिस्से से ज्यादा होने से दानगृहिता को आधा हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ है, न इन दान पत्रों के आधार पर दानगृहिताओं का 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया है, जो भी गलत है, जब देवा का हिस्सा 1/4 हि है तो 1/2 हिस्से का दान पत्र अवैद्य व शुन्य करणीय है व दानगृहिताओं को 1/2 हिस्सा नहीं मिलता है, न 1/2 हिस्से के सम्बन्ध में नामान्तरकरण ही खोला जा सकता है, इस कारण जो नामान्तरकरण खोले गये है, वह भी निरस्त किये जाने योग्य है।

ग. देवा पिता केवला द्वारा अपने 1ध्4 हिस्से से अधिक यानि 1/2 हिस्से के दान पत्र कराये है, जो बिना अधिकार के है व राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर कराये गये दान पत्र अवैद्य है व इन दान पत्रों से

दानगृहिताओं के नाम 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

घ. कानूनी प्रावधान है कि जहां पर पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के सम्बन्ध में नियमित वाद चल रहा हो वहां नामान्तरकरण जैसी कार्यवाही नहीं की जा सकती है और यदि नामान्तरकरण जैसी कार्यवाही शुरू कर दी है और उसे नियमित वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित कर देना चाहिये या उस नामान्तरकरण को निरस्त करते हुऐ पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ लौटाई जाना चाहिये कि नियमित वाद के निर्णय अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही करे। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रावधान को भी ध्यान में नहीं रखा है, न रेस्पोडेण्ट ने इस बात को अधीनस्थ न्यायालय के ध्यान में लाया है। मुलाहजे हो –

2022 (2) आर.आर.टी. पेज 960

2006 (1) आर.आर.टी. पेज 473

1999 आर.बी.जे. पेज 481

2006 (13) आर.बी.जे. पेज 366

2009 (2) आर.आर.टी. पेज 816

2022 (1) आर.आर.टी. पेज 607

1985 आर.आर.डी. पेज 170

ड़ मुल वाद जो न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर यहां विचाराधीन है, जिसके मुकदमा नम्बर 33ध्2007 वाद पत्र है, उसमें राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर भी पक्षकार है व तहसीलदार की ओर से ही सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर विचाराधीन वाद मुकदमा नम्बर 33/2007 वाद पत्र में माननीय उच्च न्यायालय से विवादित भूमि के सम्बन्ध में स्थगन आदेश होना बताया है व उसी के आधार पर सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर की अग्रिम कार्यवाही स्थगित कराई गई है, ऐसी अवस्था में तहसीलदार गिर्वा उदयपुर ने उक्त भूमि के दान पत्रों के आधार पर नामान्तरकरण खुलवा स्वीकृत किये है, जो माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुऐ पारीत किये है, जो नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

च. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही की अपीलाण्ट को कोई सूचना नहीं दी गई है, न अपीलाण्ट को सूना गया है, जबकि विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के मध्य मुल वाद

33/2007 वाद पत्र सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर के यहां 2007 से विचाराधीन है, जिसमें तहसीलदार गिर्वा भी पक्षकार है, फिर भी रेस्पोडेण्ट ने तहसीलदार गिर्वा से मिलकर उक्त तथ्यों की छिपाकर नामान्तरकरण स्वीकृत करा लिया है तथा इस नामान्तरकरण से अपीलाण्ट का हिस्सा प्रभावित हो रहा है, नामन्तरकरण की जानकारी होने पर प्रस्तुत की गई है। जानकारी के सम्बन्ध में अपीलाण्ट ने धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जानकारी से अन्दर मयाद प्रस्तुत की है व ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसका रेस्पोडेण्ट की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है। इसके अलावा भी ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील की कोई मयाद भी नहीं है, कभी भी चुनौती दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट की ओर से निम्न दृष्टान्त का अवलोकन किया जाकर अपील को अन्दर मयाद शुमार फरमाई जाकर गुण दोषों के आधार पर निर्णय फरमाया जावे। मुलाहजे हो

1998 आर.आर.डी. पेज 319 (राज.)

1999 आर.आर.डी. पेज 173 (सुप्रिम कोर्ट)

2016 (4) डब्ल्यु.एल.एन. पेज 47 (राज.)

2020 (1)आर.आर.टी. पेज 575

2009 (2) आर.आर.टी. पेज 783

1988 सुप्रिम कोर्ट 1531

2012(2)आर.आर.टी. पेज 1273

अतः प्रार्थना है कि अपीलाण्ट की अपील मय खर्चा स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का कथित नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे व रेस्पोडेण्ट को अपीलाण्ट से विशेष हर्जा–खर्चा दिलाया जावे।

रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि राजस्व अभिलेख में श्रीमती दौली बाई कभी भी खातेदार काश्तकार नहीं रही और न कभी राजस्व अभिलेख में इसके नाम का अंकन था। श्रीमती दौली बाई ने अपने 1/2 हिस्से के सन्दर्भ में उप–खण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया और उसमें न्यायालय ने 1/2 हिस्सा मानकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की और अन्तिम डिक्री होने के बाद ही उसका नाम राजस्व अभिलेख में अंकन होता। इस वाद के विपरित अन्य व्यक्तियों के बीच चले सिविल वाद के सन्दर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपील में स्थगन आदेश का आधार लेकर प्रारम्भिक डिक्री की जारी कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया जा सका जबकि इस वाद से उस स्थगन आदेश का कोई सम्बन्ध नहीं था।

इस वाद की समस्त कार्यवाही एवं माननीय उच्च न्यायालय की कार्यवाही के सन्दर्भ में अपीलान्ट लोगी लाल को पूर्ण जानकारी रही है। श्रीमती दौली बाई का नाम कभी भी राजस्व रेकर्ड में अंकन नहीं रहा इसलिए नामान्तरकरण से पूर्व श्रीमती दौली बाई को सूचना देने का कोई प्रश्न नहीं था श्रीमती दौली बाई के वाद में फाईनल डिक्री होकर जमीन श्रीमती दौली बाई के नाम पर राजस्व अभिलेख में जब तक न तो कोई अंकित नहीं हो जाती है तब तक अपीलान्ट का अधिकार उत्पन्न होता है और न विरासत का कोई प्रश्न है, न उनके हिस्से की कोई जमीन का अभी इस स्टेज पर कोई प्रश्न यह अपील उन्हें प्रस्तुत करने का उत्पन्न होता है और न यह अपील ही प्रि–मेच्योर है तथा गलत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा जो भी तथ्य लिखे गये है वह गलत एवं आधारहीन होने से अस्वीकार है । उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में अपीलान्ट को यह अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही उत्पन्न नहीं होता है। श्रीमती दौली बाई का ही राजस्व अभिलेख में कभी अंकन नहीं रहा तो इनके पक्षकार होने या नहीं होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं अपीलान्ट खातेदार के वारीस के रूप में नहीं आते है । इस कारण उन्हें म्यूटेशन के आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं है क्योंकि म्यूटेशन की प्रोसिडिंग फिस्कल प्रोसिडिंग है। अपीलान्ट ने जिस हाईकोर्ट के आदेश की नकल पेश की है वह फोटो स्टेट है, न वह विधिवत प्रस्तुत की है उसमें किसी तीसरे व्यक्ति ने स्थगन आदेश अपने फेवर में ले रखा है वह व्यक्ति ही अपील कर सकता है, मौजूदा अपीलान्ट नहीं । यदि स्टे ऑर्डर होने के बावजूद नाम इन्द्राज कर दिया है तो अपीलान्ट अपने लम्बित वाद में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कर सकते है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही हो रही है हमारी भी कराई जावें एवं अन्तिम डिक्री पारित की जावें । यह अपील अपीलान्ट को प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है । इसलिए चारों अपीलों को खारिज फरमाई जावें, अवलोकन हो

2019 (2) आर.आर.टी. पेज–1118

2018 (2) आर.आर.टी. पेज–1552

2018–19 आर.आर.टी. पेज–581

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान आद्योपांत अध्ययन किया गया। दौलीबाई द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 देवा व उसके भाई उदा के विरूद्ध उक्त सम्पति बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती व बंटवाडे का वाद उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के न्यायालय में सन् 2007 में पेश किया व उक्त वाद दिनांक 25.02.2009 को दौली बाई को 1/2 हिस्से का खातेदार

घोषित कर बंटवाडे के वास्ते प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई, उक्त प्रकरण (वाद) न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक गिर्वा में वर्तमान में विचाराधीन है। प्रस्तुत नामांतकरण संख्या 1056 अनुसार राजस्व ग्राम डांगियों की पंचोली की आराजी संख्या 176, 177, 178, 186, 187, 440, 448, 449, 450, 451, 452 453, 531, 624, 630, 656, 1404, 1866, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2111 से 2118 कुल किता 36 रकबा 5.0500 हैक्टेयर भूमि में देवा पिता केवला डांगी के नाम दर्ज 10150/50500 हिस्से का नामान्तकरण पंजीयनशुदा दानपत्र के आधार पर 5075/50500 हिस्सा कन्ना पिता देवा तथा 5100/50500 हिस्सा रतुबाई पुत्री देवा डांगी तथा 5075/50500 भंवरीबाई पुत्री देवा डांगी के नाम दिनांक 20.04.2017 को नामान्तकरण पारित किया गया। प्रस्तुत वादपत्र 33/07 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि देवा पिता केवला उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या एक के रूप में संयोजित था। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी को यह पूर्ण रूप से जानकारी थी कि वादग्रस्त आराजीयात के सम्बध में दौली बाई द्वारा प्रस्तुत किया गया घोषणा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है। उक्त वाद के विचाराधीन रहते हूए रेस्पोडेृटस संख्या एक उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या एक होने के बावजूद दौराने वाद वादग्रस्त आराजीयात में अपने हिस्से के सम्बध में जो दानपत्र निष्पादित करा, उक्त दानपत्र के आधार पर नामान्तकरण की कार्यवाही करवाई गई है जो कि धारा 52 सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भोईयों की पंचोली द्वारा पारित नामातंकरण संख्या 1056 आदेश दिनांक 20.04.2017 को निरस्त किया जाता है रेस्पोडेंट्स संख्या 4 तहसीलदार गिर्वा को नामान्तकरण इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद प्रकरण संख्या 33/07 बउनवान दौली बनाम देवा के निर्णय तक नामान्तकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जावें तथा उक्त वाद के निर्णय पश्चात अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स को सूचित कर उभयपक्ष को सुना जाकर नियमानुसार नामांतकरण की कार्यवाही करावें।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रिया डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा–उदयपुर